भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 42

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

भूजल स्तर

42. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भूजल स्तर और इसके प्रदूषण स्तर का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) लगाए गए पानी के नलों की कुल संख्या का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत जारी की गई निधि का विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का भूजल सर्वेक्षण के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के नल लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल के प्रदूषण को कम करने और इसकी कमी को रोकने के लिए कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास पानी के नलों पर लगे आईओटी-आधारित सेंसरों की जांच करने के प्रचालन और रख-रखाव के संबंध में कोई संपरीक्षागत ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क): केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) मॉनिटरिंग कुओं के नेटवर्क के माध्यम से देशभर में समय-समय पर क्षेत्रीय स्तर पर भूजल स्तरों की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, नवम्बर, 2022 के दौरान, लगभग 67.2% कुओं में 05.00 एमबीजीएल तक जल स्तर दर्ज किया है। इस संबंध में महाराष्ट्र समेत राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों और भूजल गुणवत्ता निगरानी के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर देशभर का भूजल गुणवत्ता डाटा तैयार करता है। ये अध्ययन दर्शाते हैं कि देश के कुछ भागों के कुछ हिस्सों में बीआईएस द्वारा स्वीकृत सीमाओं से अधिक फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, आयरन और भारी धातु मौजूद हैं। इस संबंध में महाराष्ट्र समेत राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख): अगस्त 2019, से भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है। दिनांक 30.01.2023 तक, 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 11.04 करोड़ परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना है जिसमें से

7.81 करोड़ नल कनेक्शन पिछले तीन वर्षों में प्रदान किए गए हैं, देश में घरेलू नल जल कनेक्शन का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ग): महाराष्ट्र समेत, पिछले चार वर्षों में (30.01.2023 तक) जेजेएम के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य-वार/वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

(घ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना एवं डिजाइन जिसमें जल के सत्रोंतों की उपलब्धता को चिन्हित करना शामिल है, राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है, हालांकि, केन्द्र सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पोषित करती है। यह विभाग सतत् भूजल स्त्रोंतों के विकास के लिए अन्य नीतिगत पहलों सहित राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण डेटा, भूजल संसाधन परिदृश्य आदि को साझा करके राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(ङ): जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल के शुद्धिकरण और प्रदूषण को सीमित करने की पहल मुख्य रुप से राज्यों की जिम्मेदारी है। जेजेएम के तहत, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निधि आवंटित करते समय, रासायनिक प्रदूषणों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली आबादी को 10% वेटेज दिया जाता है। घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की योजना बनाते समय गुणवत्ता- प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि सुरक्षित जल स्त्रोतों पर आधारित पाइपयुक्त जल आपूर्ति योजना के प्लानिंग, कार्यान्वयन और कमिशनिंग में समय लगता है, इसलिए एक अंतरिम उपाय के रूप में, जेजेएम के अंतर्गत विशिष्ट रूप से आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के प्रत्येक घर को उनकी पीने और भोजन पकाने हेतु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8 से 10 लीटर/प्रति दिन के दर से पीने योग्य पानी मुहैया करवाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सामुदायिक जल शोधन प्लांट (सीडब्ल्यूपीपी) को स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भूजल गुणवत्ता में कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है यदि उपयुक्त भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल संसाधनों में सुधार हेतु ठोस प्रयास किए जाएं। केन्द्र सरकार ने इस दिशा में कई पहल की हैं, जिन्हें https://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps%20taken%20by%20the%20Central%20Govt%20for%20water_depletion_july2022.pdf पर देखा जा सकता है।

(च): जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए पाइपयुक्त जल आपूर्ति योजनाओं के लिए सेंसर आधारित स्मार्ट आपूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें पानी के नल पर सेंसर की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

*****

अनुलग्नक-I

"भूजल स्तर" के संबंध में दिनांक 02.02.2023 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

नवबंर, 2022 अवधि के लिए राज्य-वार जल स्तर की गहराई और कुओं के विवरण का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य का नाम	जांच किए गए कुओं की संख्या	जल स्तर (एमबीजीएल) की रेंज में गहराई दिखाने वाले कुओं की संख्या और प्रतिशत											
			0-2		2-5		5-10		10-20		20-40		> 40	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	अंडमान और निकोबार	99	87	87.9	12	12.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	आंध्र प्रदेश	730	370	50.7	226	31.0	97	13.3	29	4.0	7	1.0	1	0.1
3	अरुणाचल प्रदेश	9	0	0.0	4	44.4	5	55.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	असम	173	74	42.8	82	47.4	13	7.5	4	2.3	0	0.0	0	0.0
5	बिहार	638	105	16.5	434	68.0	96	15.0	3	0.5	0	0.0	0	0.0
6	चंडीगढ़	14	0	0.0	4	28.6	2	14.3	3	21.4	3	21.4	2	14.3
7	छत्तीसगढ़	774	157	20.3	437	56.5	142	18.3	36	4.7	2	0.3	0	0.0
8	दादरा और नगर हवेली	15	1	6.7	12	80.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9	दमन और दीव	7	1	14.3	4	57.1	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	दिल्ली	84	8	9.5	16	19.0	26	31.0	19	22.6	10	11.9	5	6.0
11	गोवा	63	5	7.9	28	44.4	26	41.3	4	6.3	0	0.0	0	0.0
12	गुजरात	709	125	17.6	271	38.2	198	27.9	82	11.6	29	4.1	4	0.6
13	हरियाणा	268	36	13.4	68	25.4	37	13.8	59	22.0	56	20.9	12	4.5
14	हिमाचल प्रदेश	84	16	19.0	29	34.5	15	17.9	19	22.6	5	6.0	0	0.0
15	जम्मू और कश्मीर	273	75	27.5	138	50.5	39	14.3	14	5.1	7	2.6	0	0.0
16	झारखंड	178	19	10.7	109	61.2	48	27.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0
17	कर्नाटक	1327	467	35.2	495	37.3	320	24.1	43	3.2	2	0.2	0	0.0
18	केरल	1412	281	19.9	454	32.2	539	38.2	125	8.9	12	0.8	1	0.1
19	मध्य प्रदेश	1259	239	19.0	608	48.3	326	25.9	76	6.0	10	0.8	0	0.0
20	महाराष्ट्र	**1472**	**358**	**24.3**	**732**	**49.7**	**320**	**21.7**	**52**	**3.5**	**10**	**0.7**	**0**	**0.0**
21	मेघालय	24	13	54.2	11	45.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22	नागालैंड	4	1	25.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23	ओडिशा	1212	491	40.5	601	49.6	116	9.6	4	0.3	0	0.0	0	0.0
24	पांडिचेरी	4	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25	पंजाब	232	18	7.8	40	17.2	34	14.7	60	25.9	63	27.2	17	7.3
26	राजस्थान	890	71	8.0	226	25.4	150	16.9	158	17.8	134	15.1	151	17.0
27	तमिलनाडु	621	216	34.8	252	40.6	110	17.7	33	5.3	5	0.8	5	0.8
28	तेलंगाना	529	187	35.3	218	41.2	94	17.8	27	5.1	1	0.2	2	0.4
29	त्रिपुरा	20	5	25.0	12	60.0	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30	उत्तर प्रदेश	634	158	24.9	250	39.4	132	20.8	72	11.4	18	2.8	4	0.6
31	उत्तराखंड	45	9	20.0	11	24.4	16	35.6	6	13.3	2	4.4	1	2.2
32	पश्चिम बंगाल	774	102	13.2	309	39.9	216	27.9	109	14.1	38	4.9	0	0.0
कुल		**14577**	**3697**	**25.4**	**6095**	**41.8**	**3127**	**21.5**	**1039**	**7.1**	**414**	**2.8**	**205**	**1.4**

****

अनुलग्नक-II

"भूजल स्तर" के संबंध में दिनांक 02.02.2023 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

भारत के भूजल में विभिन्न संदूषणों से आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की राज्य-वार संख्या

(मई, 2021 तक)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य	लवणता (3000 माइक्रो एमएचओ / सेमी से ऊपर ईसी) (ईसी: विद्युत चालकता)	फ़्लोराइड (1.5 मिलीग्राम/ लीटर से ऊपर	नाइट्रेट (45 मिलीग्राम/ लीटर से ऊपर	आर्सेनिक (0.01 मिलीग्राम/ लीटर से ऊपर	लोहा (1मिलीग्राम/ लीटर से ऊपर	लैड (0.01 मिलीग्राम/ लीटर से ऊपर	कैडमियम (0.003 मिलीग्राम/ लीटर से ऊपर	क्रोमियम (0.05 मिलीग्राम/ लीटर से ऊपर	यूरेनियम (0.03 मिलीग्राम/ लीटर से ऊपर
1	आंध्र प्रदेश	12	12	13	7	12	2		1	8
2	तेलंगाना	9	10	10	1	9	4	1	1	6
3	असम		17		21	25	9		2	
4	अरुणाचल प्रदेश					6				
5	बिहार	4	13	32	27	35	9		3	10
6	छत्तीसगढ़	1	23	24	4	22	5	1	1	4
7	दिल्ली	8	7	9	3	5	3	2	5	4
8	गोवा					2			1	
9	गुजरात	26	27	32	12	14	1			5
10	हरियाणा	18	21	21	17	20	17	8	4	19
11	हिमाचल प्रदेश		2	7	1	5				1
12	जम्मू और कश्मीर		3	9	3	10	3	1	1	
13	झारखंड		16	23	4	23	25			4
14	कर्नाटक	29	30	29	3	22	1		7	8
15	केरल	4	5	14	1	15	6	7	1	
16	मध्य प्रदेश	20	44	51	9	47	16		2	12
17	महाराष्ट्र	**28**	**20**	**30**		**24**	**20**	**1**		**3**
18	मणिपुर		1		2	4				
19	मेघालय		5			7				

20	नागालैंड		3			5				
21	ओडिशा	18	26	29	5	30	4		2	5
22	पंजाब	12	19	23	17	16	12	8	11	20
23	राजस्थान	31	33	33	10	33	14			28
24	तमिलनाडु	29	29	32	14	16	6	1	7	14
25	त्रिपुरा		3		3	8				
26	उत्तर प्रदेश	14	40	62	39	68	19	2	17	35
27	उत्तराखंड	1	1	4	5	8	8		2	
28	पश्चिम बंगाल	9	12	16	11	21	7	2	3	1
29	अंडमान और निकोबार	1				3				
30	दमन और दीव	1		2	1					
31	पुदुचेरी			2	**1**					
	कुल	**20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 275 जिलों के हिस्से**	**26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 422 जिलों के हिस्से**	**23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 507 जिलों के हिस्से**	**25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 221 जिलों के हिस्से**	**29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 515 जिलों के हिस्से**	**21 राज्यों के 191 जिलों के कुछ हिस्सों में लैड**	**11 राज्यों के 34 जिलों के कुछ हिस्सों में कैडमियम**	**18 राज्यों के 71 जिलों के कुछ हिस्सों में क्रोमियम**	**18 राज्यों के 187 जिलों के कुछ हिस्सों में यूरेनियम**

****

अनुलग्नक-III

"भूजल स्तर" के संबंध में दिनांक 02.02.2023 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों-वार स्थिति (30.01.2023 तक)

(लाख में संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	आज की तारीख में कुल ग्रामीण एचएच	15.8.2019 तक नल के पानी के कनेक्शन के साथ ग्रामीण एचएच	नल के पानी की आपूर्ति के साथ ग्रामीण एचएच	
				संख्या	प्रतिशत
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.62	0.29	0.62	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	95.18	30.74	65.31	68.62
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.22	0.23	1.56	70.40
4.	असम	67.21	1.11	28.71	42.71
5.	बिहार	166.30	3.16	158.97	95.59
6.	छत्तीसगढ़	50.08	3.20	18.96	37.86
7.	दादर नागर हवेली एंव दमन एवं दीव	0.85	0.00	0.85	100.00
8.	गोवा	2.63	1.99	2.63	100.00
9.	गुजरात	91.18	65.16	91.18	100.00
10.	हरियाणा	30.41	17.66	30.41	100.00
11.	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	16.69	97.68
12.	जम्मू और कश्मीर	18.40	5.75	10.62	57.70
13.	झारखंड	61.19	3.45	18.24	29.82
14.	कर्नाटक	101.18	24.51	61.84	61.12
15.	केरल	70.69	16.64	32.40	45.83
16.	लद्दाख	0.43	0.01	0.31	71.82
17.	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.0	0.0
18.	मध्य प्रदेश	119.89	13.53	56.25	46.91
19.	महाराष्ट्र	**146.73**	**48.44**	**106.35**	**72.48**
20.	मणिपुर	4.52	0.26	3.42	75.74
21.	मेघालय	6.35	0.05	2.87	45.13
22.	मिजोरम	1.33	0.09	0.98	74.00
23.	नागालैंड	3.66	0.14	2.20	60.10
24.	ओडिशा	88.56	3.11	50.19	56.67
25.	पुदुचेरी	1.15	0.94	1.15	100.00
26.	पंजाब	34.26	16.79	34.24	99.96
27.	राजस्थान	105.32	11.74	33.29	31.61
28.	सिक्किम	1.32	0.70	1.03	78.26
29.	तमिलनाडु	125.51	21.76	73.93	58.90
30.	तेलंगाना	53.98	15.68	53.98	100.00
31.	त्रिपुरा	7.42	0.25	4.33	58.36
32.	उत्तर प्रदेश	262.64	5.16	75.27	28.66
33.	उत्तराखंड	14.94	1.30	10.77	72.08
34.	पश्चिम बंगाल	182.59	2.15	54.48	29.84
	कुल	**1935.96**	**323.63**	**1104.04**	**57.03**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एचएच: हाउसहोल्ड

****

अनुलग्नक-IV

"भूजल स्तर" के संबंध में दिनांक 02.02.2023 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दिनांक 30.01.2023 तक जेजेएम के अंतर्गत राज्यों द्वारा निकाली गई निधि का राज्य-वार एवं वर्ष-वार विवरण

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय निधि जारी			
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (30.01.2023 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.5	1.46	2.06	0
2	आंध्र प्रदेश	372.64	297.62	791.06	0
3	अरुणाचल प्रदेश	177.47	344.85	1,555.53	558.18
4	असम	442.36	551.77	4,200.87	3,058.81
5	बिहार	417.35	353.6	0	0
6	छत्तीसगढ़	65.82	334.14	477.24	1,111.99
7	गोवा	3.08	6.2	22.77	0
8	गुजरात	390.31	983.08	2,557.96	2,692.62
9	हरियाणा	149.95	72.38	559.98	231.5
10	हिमाचल प्रदेश	205.83	547.48	2,012.78	1,008.70
11	जम्मू और कश्मीर	322.03	53.72	604.18	0
12	झारखंड	291.19	143.06	512.22	1,412.76
13	कर्नाटक	546.06	446.36	2,504.40	1,362.96
14	केरल	101.29	303.18	1,353.44	1,103.27
15	लद्दाख	67.86	0	340.68	0
17	मध्य प्रदेश	571.6	960.09	3,837.59	1,410.25
18	महाराष्ट्र	**345.28**	**457.23**	**1,666.64**	**1,701.11**
19	मणिपुर	91.17	141.8	601.19	128.01
20	मेघालय	43.01	184.92	1,078.39	560.82
21	मिजोरम	68.05	104.3	303.89	166.96
22	नागालैंड	56.49	85.57	333.61	363.21
23	ओडिशा	364.74	609.11	2,492.56	866.57
24	पुदुचेरी	0	1.06	7.47	0
25	पंजाब	227.46	0	402.24	0
26	राजस्थान	1,301.71	630.51	2,345.08	2,749.65
27	सिक्किम	26.15	39.36	194.79	68.08
28	तमिलनाडु	373.1	690.36	614.35	872.96
29	तेलंगाना	105.52	82.71	0	0
30	त्रिपुरा	145.37	117.46	714.09	500.23
31	उत्तर प्रदेश	1,513.14	1,295.47	5,435.25	6,331.02
32	उत्तराखंड	170.53	271.93	1,082.85	806.25
33	पश्चिम बंगाल	994.75	807.08	1,404.61	1,545.06
कुल		**9,951.81**	**10,917.86**	**40,009.77**	**30,610.97**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

****